

CGST NOTIFICATIONS

DIGEST-2018

[Volume-II]



Compilation of Notifications issued under the Central
Goods and Services Tax Act 2017 (12 of 2017)

From 15th Nov 2017 to 31st May 2018



Compiled by

LOKESH MITTAL

Advocate High Court, Allahabad

[Editor : Tax Law Diary]

Mobile : 0-7007303296 (WhatsApp)

{e-mail : lokeshmittaladvocate@gmail.com}

TAX LAW DIARY

A Monthly Journal on Taxation Laws

[One Volume in a Year (Jan - Dec)]

12-C, Akashpuri Colony, Allahabad – 211 001

(Opp. Circuit House, Near Bank of India/Amul)

PHONE : 2423065 (0532) ; 0-9415637120

{e-mail : taxlawdiary@gmail.com}

Join WhatsApp Group on "0-7398058000" for GST Updates

[Volume-II]
Notifications issued under the CGST Act, 2017
(12 of 2017)

No.	Date	Subject	Page
56	15-11-17	Prescribing Form GSTR-3B to be filed for Jan-Feb-Mar, 2018	4 - 5
57	15-11-17	Prescribing Quarterly filing of GSTR-1 upto 1.5crore turnover	6 - 7
58	15-11-17	Extention of Time for filing GSTR-1 above 1.5crore turnover	8 - 10
59	15-11-17	Extention of Time Limit for filing of Form GSTR-4	11 - 12
60	15-11-17	Extention of Time for filing of Form GSTR-5 for July to Oct	13 - 14
61	15-11-17	Extention of Time for filing Form GSTR-5A for July to Oct	15 - 16
62	15-11-17	Extention of Time Limit for filing of Form GSTR-6 for July	17 - 18
63	15-11-17	Extention of Time Limit for filing of Form GST ITC-04	19 - 20
64	15-11-17	Notifying maximum late fee for delayed filing of Form GSTR-3B	21 - 22
65	15-11-17	Exemption from registration to Electronic Commerce Operator	23 - 24
66	15-11-17	Clarification on filing returns who did not opt composition levy	25 - 26
67	21-12-17	Extention of Time for filing of Form GST ITC-01 for July to Nov	27 - 28
68	21-12-17	Extention of Time for filing of Form GSTR-5 for July to Dec	29 - 30
69	21-12-17	Extention of Time for filing of Form GSTR-5A for July to Dec	31 - 32
71	29-12-17	Extention of Time for filing GSTR-1 upto 1.5crore turnover	33 - 35
72	29-12-17	Extention of Time for filing GSTR-1 above 1.5crore turnover	36 - 38
73	29-12-17	Late fee waive for failure to furnish return in Form GSTR-4	39 - 40
74	29-12-17	Notifying Date from which E-way Rules shall come into force	41 - 42
01	01-01-18	Amendment in Noti. No.8/17 (Rate of tax under Composition)	43 - 44
02	20-01-18	Extention of Time for filing of Form GSTR-3B for Dec-2017	45 - 46
04	23-01-18	Late fee reduce in case of delayed filing of Form GSTR-1	47 - 48
05	23-01-18	Late fee reduce in case of delayed filing of Form GSTR-5	49 - 50
06	23-01-18	Late fee reduce in case of delayed filing of Form GSTR-5A	51 - 52

07	23-01-18	Late fee reduce in case of delayed filing of Form GSTR-6	53 - 54
08	23-01-18	Time extend for filing Form GSTR-6 for July-17 to Feb-18	55 - 56
09	23-01-18	Amendment in Noti. No.4/17 (Notifying E-way Bill website)	57 - 59
10	23-01-18	Amendment in Noti. No.39/17 (Power of Officer for refund)	59 - 60
11	02-02-18	Rescission of Noti. No.74/17 (Enforcement of E-way Rules)	62 - 63
13	07-03-18	Rescission of Noti. No.6/18 (Late fee for Form GSTR-5A)	64 - 65
15	23-03-18	Notifying Date from which E-way Rules shall come into force	66 - 67
16	23-03-18	Declaring Dates for filing Form GSTR-3B for April18-June-18	68 - 69
17	28-03-18	Time extend for filing GSTR-1 upto 1.5crore for April-June-18	70 - 71
18	28-03-18	Time extend for filing GSTR-1 above 1.5crore for April-Jun-18	72 - 73
19	28-03-18	Extention of Time for filing of GSTR-6 for July-17 to April-18	74 - 75
20	28-03-18	Filing of application for refund by notified agencies u/s 55	76 - 77
22	14-05-18	Late fee waive in filing of Form GSTR-3B and GST TRAN-1	78 - 79
23	18-05-18	Extention of Time for filing of Form GSTR-3B for April-2018	80 - 81
24	28-05-18	Conducting examination for GST Practitioners u/rule 83(3)	82 - 83
25	31-05-18	Extention of Time for filing of GSTR-6 for July-17 to June-18	84 - 85



[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
[Central Board of Excise and Customs]

Notification No. 56/2017 – Central Tax

New Delhi, the 15th November, 2017

G.S.R.....(E):- In exercise of the powers conferred by section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in **FORM GSTR-3B** for the month as specified in column (2) of the Table shall be furnished electronically through the common portal, on or before the last date as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl No.	Month	Last date for filing of return in FORM GSTR-3B
(1)	(2)	(3)
1.	January, 2018	20 th February, 2018
2.	February, 2018	20 th March, 2018
3.	March, 2018	20 th April, 2018

2. Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B: Every registered person furnishing the return in **FORM GSTR-3B** shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as mentioned in column (3) of the said Table, on which he is required to furnish the said return.

[F. No.349 /58/2017-GST(Pt)]

(Dr. Sreeparvathy S.L.)
Under Secretary to the Government of India

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

[केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड]

अधिसूचना संख्या 56/2017 - केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2017

सा.का.नि.....(अ).- आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उप-नियम (5) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, यह विनिर्दिष्ट करता है कि सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर-38 में विवरणी उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तस्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख को या उसके पूर्व सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात् :-

सारणी

क्र. सं.	मास	प्ररूप जीएसटीआर-38 में विवरणी फाइल करने के लिए अन्तिम तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	जनवरी, 2018	20 फरवरी, 2018
2.	फरवरी, 2018	20 मार्च, 2018
3.	मार्च, 2018	20 अप्रैल, 2018

2. प्ररूप जीएसटीआर-38 के अनुसार कर दायित्व के उन्मोचन के लिए करों का संदाय : प्ररूप जीएसटीआर-38 में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, फीस या किसी अन्य रकम के लिए अपने दायित्व का, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथा उल्लिखित अन्तिम तारीख, जिसको उससे उक्त विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, से अपश्चात्, यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता या इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता से विकलित करके उन्मोचन करेगा ।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी (पीटी)]

(डॉ. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
[Central Board of Excise and Customs]

Notification No. 57/2017 – Central Tax

New Delhi, the 15th November, 2017

G.S.R. (E):— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as detailed below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl No.	Quarter for which the details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing the details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	July - September, 2017	31 st December, 2017
2	October - December, 2017	15 th February, 2018
3	January - March, 2018	30 th April, 2018

3. The special procedure or extension of the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the Act, for the months of July, 2017 to March, 2018 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

(Dr.Sreeparvathy S.L.)
Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

[केंद्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड]

अधिसूचना सं. 57/2017-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 15 नवंबर, 2017

सा.का.नि. (अ) - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को जिनका समग्र आवर्त पूर्ववर्ती वित्त वर्ष या चालू वित्त वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में आधिसूचित करती है, जो माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति के लिए ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए नीचे दी गई विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

2. उक्त व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तंभ (3) की ततस्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समय तक की गई है, के ब्यौरों को प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत करेंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम संख्या	तिमाही जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं	प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने की समयावधि
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई-सितंबर, 2017	31 दिसंबर, 2017
2.	अक्टूबर-दिसंबर, 2017	15 फरवरी, 2018
3.	जनवरी-मार्च, 2018	30 अप्रैल, 2018

3. अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के लिए, यथास्थिति ब्यौरों या विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रक्रिया या समय सीमा के विस्तार को पश्चातवर्ती रूप से राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

[फाइल सं. 349/58/2017-जीएसटी (पीटी)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
[Central Board of Excise and Customs]

Notification No. 58/2017 – Central Tax

New Delhi, the 15th November, 2017

G.S.R. (E):— In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the Act) and in supersession of notification No. 30/2017 – Central Tax dated the 11th September, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1144 (E), dated the 11th September, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** under sub-section (1) of section 37 of the Act for the months as specified in column (2) of the Table, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl No.	Months for which the details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing the details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	July - October, 2017	31 st December, 2017
2	November, 2017	10 th January, 2018
3	December, 2017	10 th February, 2018
4	January, 2018	10 th March, 2018
5	February, 2018	10 th April, 2018
6	March, 2018	10 th May, 2018

2. The extension of the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the Act, for the months of July, 2017 to March, 2018 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

(Dr.Sreeparvathy S.L.)
Under Secretary to the Government of India

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

[केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड]

अधिसूचना संख्या 58/2017 - केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2017

सा.का.नि.....(अ).- आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सा.का.नि. संख्या 1144(अ), तारीख 11 सितम्बर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 30/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 11 सितम्बर, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, परिषद की सिफारिशों पर, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक के कुल आवर्त रखने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा नीचे सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट मासों के लिए अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-01 में जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा को उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि तक बढ़ाता है, अर्थात् :-

सारणी

क्र. सं.	वे मास, जिनके लिए प्ररूप जीएसटीआर-01 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं	प्ररूप जीएसटीआर-01 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा
(1)	(2)	(3)
1	जुलाई-अक्तूबर, 2017	31 दिसम्बर, 2017
2	नवम्बर, 2017	10 जनवरी, 2018
3	दिसम्बर, 2017	10 फरवरी, 2018
4	जनवरी, 2018	10 मार्च, 2018
5	फरवरी, 2018	10 अप्रैल, 2018
6	मार्च, 2018	10 मई, 2018

2. जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 तक के मासों के लिए, अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (2) और धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन, यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा का विस्तार राजपत्र में तत्पश्चात् अधिसूचित किया जाएगा।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी)]

(डॉ. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

**Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
[Central Board of Excise and Customs]**

Notification No. 59/2017 – Central Tax

New Delhi, the 15th November, 2017

G.S.R. (E):- In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 41/2017-Central Tax, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1255(E), dated the 13th October, 2017, namely:-

In the said notification, for the words, figures and letters “the 15th day of November, 2017”, the words, figures and letters “the 24th day of December, 2017” shall be substituted.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

(Ruchi Bisht)
Under Secretary to the Government of India

Note: - The principal notification No.41/2017-Central Tax, dated the 13th October, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1255 (E), dated the 13th October, 2017.

[भारतकेराजपत्र, भाग2, खंड3, उपखंड (i) मेंप्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 59/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली 15 नवंबर, 2017

सा.का.नि.....(अ).-- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल औरसेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 41/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 13 अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1255(अ) तारीख 13 अक्टूबर, 2017 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में "15 नवम्बर, 2017" शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर "24 दिसम्बर, 2017" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[फ.सं.349/58/2017-जीएसटी)पीटी]

)रुचि बिष्ट (
अवरसचिव, भारतसरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्या 41/2017 – केन्द्रीय कर तारीख 13 अक्टूबर, 2017 को सा.का.नि. 1255(अ) तारीख 13 अक्टूबर, 2017 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-2, खंड-3, उपखंड(i) में प्रकाशित किया गया था।

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

**Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
[Central Board of Excise and Customs]**

Notification No. 60/2017 – Central Tax

New Delhi, the 15th November, 2017

G.S.R. (E):- —In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner hereby extends the time limit for furnishing the return by a non-resident taxable person, in **FORM GSTR-5**, under sub-section (5) of section 39 of the said Act read with rule 63 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 for the months of July, 2017, August, 2017, September, 2017 and October, 2017 till the 11th day of December, 2017.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

(Ruchi Bisht)
Under Secretary to the Government of India

(भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना न० 60/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 15 नवंबर, 2017

सा०का०नि०(अ).—केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39(6) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 63 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (5) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-5 में किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा अपनी विवरणी भरने के मामले में जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, सितंबर, 2017 और अक्टूबर, 2017 मास के लिए समय सीमा को 11 दिसम्बर, 2017 तक बढ़ाते हैं।

[फ. सं. 349/58/2017-जीएसटी (पीटी)]

(रुचि बिष्ट)
अवरसचिव, भारतसरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
[Central Board of Excise and Customs]

Notification No. 61/2017 – Central Tax

New Delhi, the 15th November, 2017

G.S.R. (E):— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), and in supersession of notification No. 42/2017-Central Tax, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1256 (E), dated the 13th October, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner, hereby extends the time limit for furnishing the return in **FORM GSTR-5A** for the month of July, 2017, August, 2017, September, 2017 and October, 2017 by a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 and rule 64 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, till the 15th day of December, 2017.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

(Ruchi Bisht)
Under Secretary to the Government of India

(भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना न० 61/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 15 नवंबर, 2017

सा०का०नि०(अ).—केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उप-धारा(6) और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संख्या सा०का०नि० 1256 (अ) तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 42/2017 केंद्रीय कर, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 को अधिकांत करते हुए जिनका ऐसा अधिक्रमण किया गया है या लोप किया गया है, आयुक्त एकीकृत माल और सेवा कर, अधिनियम, 2017 की धारा 14 और केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 64 में निर्दिष्ट गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना देनेवाले डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सेवाओं को प्रदान करनेवाले व्यक्ति के लिए जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, सितंबर, 2017 और अक्टूबर, 2017 मास की विवरणी के प्ररूप जीएसटीआर-5क की समय सीमा 15 दिसंबर, 2017 तक बढ़ादी है।

[फ. सं. 349/58/2017-जीएसटी (पीटी)]

(रुचि बिष्ट)
अवरसचिव, भारतसरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
[Central Board of Excise and Customs]

Notification No. 62/2017 – Central Tax

New Delhi, the 15th November, 2017

G.S.R. (E):— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of notification No. 43/2017-Central Tax, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1257 (E), dated the 13th October, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner hereby extends the time limit for furnishing the return by an Input Service Distributor in **FORM GSTR-6** under sub-section (4) of section 39 of the said Act read with rule 65 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 for the month of July, 2017 till the 31st day of December, 2017.

2. The extension of the time limit for furnishing the return under sub-section (4) of section 39 of the said Act for the month of August, 2017, September, 2017 and October, 2017 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

(Ruchi Bisht)
Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 62/2017- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. (अ) .- आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 सपठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या 43/2017- केन्द्रीय कर, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1257(अ) तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के नियम 65 सपठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (4) के अधीन प्ररुप जीएसटीआर-6 में किसी निवेश सेवा वितरक द्वारा माह जुलाई, 2017 के विवरणी भरे जाने के लिए समय-सीमा को बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2017 कर दिया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (6) के अधीन विवरणी भरे जाने के लिए बढ़े हुए समय-सीमा को अगस्त, 2017 सितम्बर, 2017 और अक्टूबर, 2017 के लिए राजपत्र में तत्पश्चात् अधिसूचना किया जायेगा।

[फ. सं. 349/58/2017-जीएसटी (पीटी)]

(रुचि बिष्ट)
अवरसचिव, भारतसरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

**Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
[Central Board of Excise and Customs]**

Notification No. 63/2017 – Central Tax

New Delhi, the 15th November, 2017

G.S.R. (E):- In pursuance of section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and sub-rule (3) of rule 45 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 53/2017-Central Tax, dated the 28th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1346 (E), dated the 28th October, 2017, namely:-

In the said notification, for the words, figures and letters “the 30th day of November, 2017”, the words, figures and letters “the 31st day of December, 2017” shall be substituted.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt)]

(Dr.Sreeparvathy S.L.)
Under Secretary to the Government of India

Note: - The principal notification No.53/2017-Central Tax, dated the 28th October, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1346 (E), dated the 28th October, 2017.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 63/2017- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. _____ (अ) .--केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 तथा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के नियम के 45 उपनियम (3) के अनुसरण में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 53/2017- केन्द्रीय कर, तारीख 28 अक्टूबर, 2017 जो भारत के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) संख्या सा.का.नि. 1346(अ) तारीख 28 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, शब्दों, अंकों और अक्षरों "30 नवम्बर, 2017" के स्थान पर "31 दिसम्बर, 2017" के शब्दों, अंकों, और अक्षरों को रखा जायेगा।

[फ. सं. 349/58/2017-जीएसटी- (पीटी)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना सं. 53/2017 - केन्द्रीय कर, तारीख 28 अक्टूबर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1346(अ) तारीख 28 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

**Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Excise and Customs**

Notification No. 64/2017 – Central Tax

New Delhi, the 15th November, 2017

G.S.R.....(E):- In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the month of October, 2017 onwards by the due date under section 47 of the said Act, which is in excess of an amount of twenty five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that where the total amount of central tax payable in the said return is nil, the amount of late fee payable by such registered person for failure to furnish the said return for the month of October, 2017 onwards by the due date under section 47 of the said Act shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt)]

(Dr.Sreeparvathy S.L.)
Under Secretary to the Government of India

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 64/2017-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 15 नवंबर, 2017.

सा.का.नि. (अ) .-- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख तक अक्टूबर, 2017 से आगे के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में अपनी विवरणी न भर पाने वाले किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के द्वारा देय विलंब फीस की रकम का अधित्याग कर सकती है, जो ऐसे प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है।

परंतु ऐसे विवरणों में देय केंद्रीय कर की कुल रकम शून्य है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख तक अक्टूबर माह से आगे उक्त विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा देय विलंब फीस की रकम, ऐसे विस्तार तक जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान विफलता जारी रहती है, दस रुपये की रकम से अधिक है, अधित्याग जारी रहेगा।

[फ. सं. 349/58/2017-जीएसटी-(पीटी)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

**Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
[Central Board of Excise and Customs]**

Notification No. 65/2017 – Central Tax

New Delhi, the 15th November, 2017

G.S.R.(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby specifies the persons making supplies of services, other than supplies specified under sub-section (5) of section 9 of the said Act through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 of the said Act, and having an aggregate turnover, to be computed on all India basis, not exceeding an amount of twenty lakh rupees in a financial year, as the category of persons exempted from obtaining registration under the said Act:

Provided that the aggregate value of such supplies, to be computed on all India basis, should not exceed an amount of ten lakh rupees in case of “special category States” as specified in sub-clause (g) of clause (4) of article 279A of the Constitution, other than the State of Jammu and Kashmir.

[F. No.349/58/2017-GST(Pt)]

(Dr.Sreeparvathy S.L.)

Under Secretary to the Government of India

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 65/2017-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 15 नवंबर 2017.

सा.का.नि. ___ (अ) .-- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, ऐसे व्यक्ति को, इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक स्रोत जिससे उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर एकत्र करना अपेक्षित है और जो एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख की रकम से अनधिक अखिल भारतीय आधार पर संगणित किए जाने वाले संकलित व्यापारावर्त रखते हों, के माध्यम से, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट आपूर्ति से भिन्न सेवाओं की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति को उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रूप में विनिर्दिष्ट करती है :

परंतु ऐसी आपूर्ति का सकल मूल्य, जिसकी गणना अखिल भारतीय स्तर पर की जानी है, संविधान के अनुच्छेद 279क के खंड (4) के उपखंड (छ) में यथाविनिर्दिष्ट "विशेष श्रेणी के राज्यों" के मामले में, जम्मू-कश्मीर से भिन्न, 10 लाख की राशि से अधिक नहीं होना चाहिए ।

[फ. सं. 349/58/2017-जीएसटी-(पीटी)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

**Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
[Central Board of Excise and Customs]**

Notification No. 66/2017 – Central Tax

New Delhi, the 15th November, 2017

G.S.R. (E):— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act) and in supercession of notification No. 40/2017-Central Tax, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.1254(E), dated the 13th October, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supercession, the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered person who did not opt for the composition levy under section 10 of the said Act as the class of persons who shall pay the central tax on the outward supply of goods at the time of supply as specified in clause (a) of sub-section (2) of section 12 of the said Act including in the situations attracting the provisions of section 14 of the said Act, and shall accordingly furnish the details and returns as mentioned in Chapter IX of the said Act and the rules made thereunder and the period prescribed for the payment of tax by such class of registered persons shall be such as specified in the said Act.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt)]

(Dr.Sreeparvathy S.L.)
Under Secretary to the Government of India

Note: - The principal notification No.40/2017-Central Tax, dated the 13th October, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1254(E), dated the 13th October, 2017.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
[केंद्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड]

अधिसूचना सं. 66/2017-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 15 नवंबर, 2017

सा.का.नि. (अ)-केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या 40/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 1254(अ) तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, को सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई थीं या जिनके किए जाने का लोप किया गया था, परिषद की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को जिसने उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन सम्मिश्र उदग्रहण का विकल्प नहीं दिया था, को व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जो उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट पूर्ति के समय मालों की जावक पूर्ति पर जिसके अंतर्गत वह स्थितियां भी हैं जिन पर उक्त अधिनियम की धारा 14 के उपबंध लागू होते हैं, केन्द्रीय कर का संदाय करेंगे और तदनुसार उक्त अधिनियम के अध्याय 9 और तद्वर्ती बनाए गए नियमों में यथावर्णित ब्यौरे और विवरणियां प्रस्तुत करेंगे तथा ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा कर के संदाय के लिए विहित अवधि वह होगी जो उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट है ।

[फाइल सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या 40/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 1254 (अ) तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Excise and Customs

Notification No. 67/2017 – Central Tax

New Delhi, the 21st December, 2017

G.S.R.(E).- In pursuance of section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) and clause (b) of sub-rule (1) of rule 40 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 and in supersession of notification No. 44/2017-Central Tax, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1258 (E), dated the 13th October, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner, hereby extends the time limit for making a declaration, in **FORM GST ITC-01**, by the registered persons, who have become eligible during the months of July, 2017, August, 2017, September, 2017, October, 2017 and November, 2017 to the effect that they are eligible to avail the input tax credit under sub-section (1) of section 18 of the said Act, till the 31st day of January, 2018.

[F. No.349/58/2017-GST(Pt.)]

(Gunjan Kumar Verma)
Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं०. 67/2017-केंद्रीय कर

नयी दिल्ली, 21 दिसंबर, 2017

सा.का.नि. (अ)-आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 और केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 40 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं० 1258(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० 44/2017-केंद्रीय कर, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा, जो जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, सितंबर, 2017, अक्टूबर, 2017 और नवंबर, 2017 मास के दौरान इस प्रकार पात्र बन गए थे कि वे उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के अर्हक हैं, प्ररूप जी.एस.टी. आई.टी.सी.-01 में घोषणा करने की समय-सीमा 31 जनवरी, 2018 तक बढ़ाते हैं।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(भाग)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

**Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
[Central Board of Excise and Customs]**

Notification No.68/2017 – Central Tax

New Delhi, the 21st December, 2017

G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of notification No. 60/2017-Central Tax, dated the 15th November, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1416 (E), dated the 15th November, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner hereby extends the time limit for furnishing the return by a non-resident taxable person, in **FORM GSTR-5**, under sub-section (5) of section 39 of the said Act read with rule 63 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 for the months of July, 2017, August, 2017, September, 2017, October, 2017, November, 2017 and December, 2017 till the 31st day of January, 2018.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

(Gunjan Kumar Verma)
Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
[केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड]

अधिसूचना सं०. 68/2017-केंद्रीय कर

नयी दिल्ली, 21 दिसंबर, 2017

सा.का.नि. (अ)—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं० 1416(अ), तारीख 15 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० 60/2017-केंद्रीय कर, तारीख 15 नवंबर, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 63 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (5) के अधीन प्ररूप जी.एस.टी.आर. 5 में किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा, जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, सितंबर, 2017, अक्टूबर, 2017, नवंबर, 2017 और दिसंबर, 2017 मास के लिए विवरणी देने की समय-सीमा 31 जनवरी, 2018 तक बढ़ाते हैं ।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(भाग)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
[Central Board of Excise and Customs]

Notification No. 69/2017 – Central Tax

New Delhi, the 21st December, 2017

G.S.R. (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and in supersession of notification No. 61/2017-Central Tax, dated the 15th November, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1417 (E), dated the 15th November, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner, hereby extends the time limit for furnishing the return in **FORM GSTR-5A** for the months of July, 2017, August, 2017, September, 2017, October, 2017, November, 2017 and December, 2017 by a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 and rule 64 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, till the 31st day of January, 2018.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

(Gunjan Kumar Verma)
Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
[केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड]

अधिसूचना सं०. 69/2017-केंद्रीय कर

नयी दिल्ली, 21 दिसंबर, 2017

सा.का.नि. (अ)-आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं० 1417(अ), तारीख 15 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० 61/2017-केंद्रीय कर, तारीख 15 नवंबर, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 14 और केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 64 में निर्दिष्ट गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को, भारत से बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना देने वाले और डाटा बेस पहुंच या सुधार सेवाएं प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, सितंबर, 2017, अक्टूबर, 2017, नवंबर, 2017 और दिसंबर, 2017 मास के लिए प्ररूप जी.एस.टी.आर. 5क विवरणी देने की समय-सीमा 31 जनवरी, 2018 तक बढ़ाते हैं।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(भाग)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
[Central Board of Excise and Customs]

Notification No. 71/2017 – Central Tax

New Delhi, the 29th December, 2017

G.S.R. (E):— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), and in supersession of notification No. 57/2017 – Central Tax dated the 15th November, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 1413 (E), dated the 15th November, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendations of the Council, notifies the registered persons having aggregate turnover of upto 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who may follow the special procedure as detailed below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said persons may furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl No.	Quarter for which the details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing the details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	July - September, 2017	10 th January, 2018
2	October - December, 2017	15 th February, 2018
3	January - March, 2018	30 th April, 2018

3. The special procedure or extension of the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the Act, for the months of July, 2017 to March, 2018 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

(Ruchi Bisht)
Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 71/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 29 दिसंबर, 2017

सा.का.नि. (अ), - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1413(अ), तारीख 15 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 57/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 15 नवंबर, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया था या करने का लोप किया गया था ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को जिनका समग्र आवर्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति के लिए ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए नीचे दी गई विशेष प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं।

2. उक्त व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि तक की गई है, के ब्यौरे को प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत कर सकते हैं, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	तिमाही, जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं	प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने की समयावधि
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई-सितंबर, 2017	10 जनवरी, 2018
2.	अक्टूबर-दिसंबर, 2017	15 फरवरी, 2018
3.	जनवरी-मार्च, 2018	30 अप्रैल, 2018

3. अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 मास के लिए, यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी को प्रस्तुत करने

के लिए विशेष प्रक्रिया या समय सीमा के विस्तार को तत्पचात् राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा
।

[फा. सं. 349/58/2017-जी एस टी (पीटी)]

(रुचिबिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
[Central Board of Excise and Customs]

Notification No. 72/2017 – Central Tax

New Delhi, the 29th December, 2017

G.S.R. (E):— In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter in this notification referred to as the Act) and in supersession of notification No. 58/2017 – Central Tax dated the 15th November, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 1414 (E), dated the 15th November, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** under sub-section (1) of section 37 of the Act for the months as specified in column (2) of the Table, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl No.	Months for which the details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing the details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	July - November, 2017	10 th January, 2018
2	December, 2017	10 th February, 2018
3	January, 2018	10 th March, 2018
4	February, 2018	10 th April, 2018
5	March, 2018	10 th May, 2018

2. The extension of the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the Act, for the months of July, 2017 to March, 2018 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

(Ruchi Bisht)
Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
[केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड]
अधिसूचना सं. 72/2017 - केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 29 दिसंबर, 2017.

सा.का.नि.....(अ)--आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्याक 1414(अ), तारीख 15 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 58/2017-केंद्रीय कर, तारीख 15 नवंबर, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद की सिफारिशों पर, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक के कुल आवर्त रखने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मासों के लिए अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-01 में जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा को, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समायावधि तक बढ़ाते हैं अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	वे मास, जिनके लिए प्ररूप जीएसटीआर-01 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं	प्ररूप जीएसटीआर-01 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई-नवंबर, 2017	10 जनवरी, 2018
2.	दिसंबर, 2017	10 फरवरी, 2018
3.	जनवरी, 2018	10 मार्च, 2018
4.	फरवरी, 2018	10 अप्रैल, 2018
5.	मार्च, 2018	10 मई, 2018

3. जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 तक के मासों के लिए, अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (2) और धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन, यथास्थिति, ब्यौरे या

विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा का विस्तार राजपत्र में तत्पश्चात् अधिसूचित किया जाएगा ।

[फा. सं. 349/58/2017-जी एस टी (पीटी)]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
[Central Board of Excise and Customs]

Notification No. 73/2017 – Central Tax

New Delhi, the 29th December, 2017

G.S.R.....(E):- In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable under section 47 of the said Act, by any registered person for failure to furnish the return in **FORM GSTR-4** by the due date, which is in excess of an amount of twenty five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that where the total amount payable in lieu of central tax in the said return is nil, the amount of late fee payable under section 47 of the said Act, by any registered person for failure to furnish the said return by the due date shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

(Ruchi Bisht)
Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

[केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड]

अधिसूचना सं. 73/2017 - केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 29 दिसंबर, 2017.

सा.का.नि.__(अ).-- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटी आर-4 में विवरणी देने में असफल रहने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय विलंब फीस की रकम को अधित्यक्त करती है, जो ऐसे प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है।

परंतु जहां उक्त विवरणी में केन्द्रीय कर के स्थान पर देय कुल रकम शून्य है, वहां उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख तक उक्त विवरणी प्रस्तुत करने में असफलता के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा देय विलंब फीस की रकम, ऐसे विस्तार तक, जो प्रत्येक दिन के लिए लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, दस रुपये की रकम से अधिक है, अधित्यक्त रहेगी।

[फा. सं. 349/58/2017-जी एस टी (भाग)]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

**Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Excise and Customs**

Notification No. 74/2017 – Central Tax

New Delhi, the 29th December, 2017

G.S.R.(E).— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby appoints the 1st day of February, 2018, as the date from which the provisions of serial numbers 2(i) and 2(ii) of notification No. 27/2017 – Central Tax dated the 30th August, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 1121 (E), dated the 30th August, 2017, shall come into force.

[F. No.349/58/2017-GST(Pt)]

(Ruchi Bisht)

Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, आसाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 74/2017 - केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 29 दिसंबर, 2017

सा.का.नि.....(अ),- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 फरवरी, 2018 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिससे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1121 (अ), तारीख 30 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 27/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 30 अगस्त, 2017 के क्रम संख्यांक 2 (i) और क्रम संख्यांक 2 (ii) के उपबंध प्रवृत्त होंगे ।

[फा. सं. 349/58/2017-जी एस टी (भाग)]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

Notification No. 1/2018- Central Tax

New Delhi, the 1st January, 2018

G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.8/2017- Central Tax, dated the 27th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 647 (E), dated the 27th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the opening paragraph, -

- (a) in clause (i), for the words “one per cent.”, the words “half per cent.” shall be substituted;
- (b) in clause (iii), for the words “half per cent. of the turnover”, the words “half per cent. of the turnover of taxable supplies of goods” shall be substituted.

[F. No. 354/320/2017- TRU]

(Ruchi Bisht)
Under Secretary to Government of India

Note: - The principal notification No.8/2017-Central Tax, dated the 27th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 647(E), dated the 27th June, 2017 and last amended by Notification No. 46/2017-Central Tax, dated 13th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number GSR 1287 (E), dated the 13th October, 2017.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं० 1/2018 - केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 1 जनवरी, 2018

सा०का०नि० (अ)- केन्द्र सरकार माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 10 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जी एस टी परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 8/2017- केन्द्रीय कर, तारीख 27 जून, 2017, जिसे सा.का. नि. 647 (अ), तारीख 27 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है यथा :-

उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में -

(क) उप-वाक्य (i) में "एक प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "आधा प्रतिशत" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ख) उप-वाक्य (iii) में "आवर्त का आधा प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति के आवर्त का आधा प्रतिशत" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

[फा. सं. 354/320/2017-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 8/2017- केन्द्रीय कर, दिनांक 27 जून, 2017, को सा.का.नि. 647(अ), दिनांक 27 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 46/2017- केन्द्रीय कर, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.नि 1287(अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

**Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Excise and Customs**

Notification No. 02/2018 – Central Tax

New Delhi, the 20th January, 2018

G.S.R.(E).— In exercise of the powers conferred by section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 35/2017- Central Tax, dated the 15th September, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1164(E), dated the 15th September, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 5, in column (3), for the figures, letters and word “20th January, 2018”, the figures, letters and word “22nd January, 2018” shall be substituted.

[F. No.349/58/2017-GST(Pt.)]

(Ruchi Bisht)

Under Secretary to the Government of India

Note: - The principal notification No.35/2017-Central Tax, dated the 15th September, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1164(E), dated the 15th September, 2017.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 02/2018- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 20 जनवरी, 2018

सा.का.नि. (अ)- भारत सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0 35/2017-केंद्रीय कर, सा.का.नि. 1164(अ), तारीख 15 सितंबर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं0 5 के स्तंभ (3) में, "20 जनवरी, 2018" अंकों और शब्द के स्थान पर, "22 जनवरी, 2018" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं0 1164(अ), तारीख 15 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 35/2017-केंद्रीय कर, तारीख 15 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

**Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
Central Board of Excise and Customs**

Notification No. 4/2018 – Central Tax

New Delhi, the 23rd January, 2018

G.S.R.....(E):- In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the details of outward supplies for any month/quarter in **FORM GSTR-1** by the due date under section 47 of the said Act, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that where there are no outward supplies in any month/quarter, the amount of late fee payable by such registered person for failure to furnish the said details by the due date under section 47 of the said Act shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues.

[F. No.349/58/2017-GST(Pt.)]

(Dr. Sreeparvathy S.L.)
Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय सीमाशुल्क और उत्पाद-शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 4/2018-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 23 जनवरी, 2018

सा.का.नि.__(अ)-- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय विलंब शुल्क की रकम का अधित्यजन किया जाता है, जो उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 में किसी मास/तिमाही के लिए जावक आपूर्ति के ब्यौरे देने में असफल रहता है, जो प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है के लिए पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है:

परंतु, जहां किसी मास/तिमाही में जावक आपूर्ति नहीं है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख पर उक्त ब्यौरे देने में असफल रहने पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय विलंब शुल्क की रकम उस विस्तार तक अधित्यजित रहेगी, जो प्रत्येक दिन जिसके दौरान उक्त असफलता जारी रहती है के लिए दस रुपये की रकम से अधिक है।

[फा.सं.349/58/2017- जीएसटी(पीटी.)]

(डा.श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

**Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Excise and Customs**

Notification No. 5/2018 – Central Tax

New Delhi, the 23rd January, 2018

G.S.R.....(E):- In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the return in **FORM GSTR-5** by the due date under section 47 of the said Act, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that where the total amount of central tax payable in the said return is nil, the amount of late fee payable by such registered person for failure to furnish the said return by the due date under section 47 of the said Act shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues.

[F. No.349/58/2017-GST(Pt.)]

(Dr. Sreeparvathy S.L.)
Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय सीमाशुल्क और उत्पाद-शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 5/2018-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 23 जनवरी, 2018

सा.का.नि.__(अ).-- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय विलंब शुल्क की रकम का अधित्यजन किया जाता है, जो उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-5 में विवरणी देने में असफल रहता है, जो प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है के लिए पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है:

परंतु, जहां उक्त विवरणी में, केन्द्रीय कर की कुल संदेय रकम शून्य है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख पर उक्त विवरणी देने में असफल रहने पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय विलंब शुल्क की रकम उस विस्तार तक अधित्यजित रहेगी, जो प्रत्येक दिन जिसके दौरान उक्त असफलता जारी रहती है के लिए दस रुपये की रकम से अधिक है।

[फा.सं.349/58/2017-जीएसटी(पीटी.)]

(डा.श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

**Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Excise and Customs**

Notification No. 6/2018 – Central Tax

New Delhi, the 23rd January, 2018

G.S.R.....(E):- In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the return in **FORM GSTR-5A** by the due date under section 47 of the said Act, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that where the total amount of integrated tax payable in the said return is nil, the amount of late fee payable by such registered person for failure to furnish the said return by the due date under section 47 of the said Act shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues.

[F. No.349/58/2017-GST(Pt.)]

(Dr. Sreeparvathy S.L.)

Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय सीमाशुल्क और उत्पाद-शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 6/2018—केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 23 जनवरी, 2018

सा.का.नि.__(अ).-- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय विलंब शुल्क की रकम का अधित्यजन किया जाता है, जो उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-5क में देने में असफल रहता है, जो प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है के लिए पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है:

परंतु, जहां किसी मास/तिमाही में जावक आपूर्ति नहीं है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख पर उक्त विवरणी देने में असफल रहने पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय विलंब शुल्क की रकम उस विस्तार तक अधित्यजित रहेगी, जो प्रत्येक दिन जिसके दौरान उक्त असफलता जारी रहती है के लिए दस रुपये की रकम से अधिक है।

[फा.सं.349/58/2017-जीएसटी(पीटी.)]

(डा.श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

**Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Excise and Customs**

Notification No. 7/2018 – Central Tax

New Delhi, the 23rd January, 2018

G.S.R.....(E):- In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the return in **FORM GSTR-6** by the due date under section 47 of the said Act, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues.

[F. No.349/58/2017-GST(Pt.)]

(Dr. Sreeparvathy S.L.)
Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय सीमाशुल्क और उत्पाद-शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 7/2018-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 23 जनवरी, 2018

सा.का.नि.__(अ).-- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय विलंब शुल्क की रकम का अधित्यजन किया जाता है, जो उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-6 में विवरणी देने में असफल रहता है, जो प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है के लिए पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है।

[फा.सं.349/58/2017-जीएसटी(पीटी.)]

(डा.श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Excise and Customs
Notification No. 8/2018 – Central Tax

New Delhi, the 23rd January, 2018

G.S.R....(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of notification No. 62/2017-Central Tax, dated the 15th November, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1418(E), dated the 15th November, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner hereby extends the time limit for furnishing the return by an Input Service Distributor in **FORM GSTR-6** under sub-section (4) of section 39 of the said Act read with rule 65 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, for the months of July, 2017 to February, 2018, till the 31st day of March, 2018.

[F. No.349/58/2017-GST(Pt.)]

(Dr. Sreeparvathy S.L.)

Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 8 / 2018 - केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 23 जनवरी, 2018

सा.का.नि.....(अ).- आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1418 (अ) तारीख 15 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 62/2017 के द्वारा तारीख 15 नवंबर, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रान्त करते हुए किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 के नियम 65 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा के अधीन प्रारूप जीएसटीआर-6 में जुलाई, 2017, फरवरी, 2018 मास के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की समय सीमा का 31 मार्च, 2018 का विस्तार करता है।

[फा.सं.349/58/2017-जीएसटी(पीटी.)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

**Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Excise and Customs**

Notification No. 9/2018 – Central Tax

New Delhi, the 23rd January, 2018

G.S.R....(E).- In exercise of the powers conferred by section 146 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 4/2017 - Central Tax dated 19th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 606 (E), dated the 19th June, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby notifies www.gst.gov.in as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for facilitating registration, payment of tax, furnishing of returns and computation and settlement of integrated tax and www.ewaybillgst.gov.in as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for furnishing electronic way bill.

Explanation.-

- (1) For the purposes of this notification, “www.gst.gov.in” means the website managed by the Goods and Services Tax Network, a company incorporated under the provisions of section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013); and
- (2) For the purposes of this notification, “www.ewaybillgst.gov.in” means the website managed by the National Informatics Centre, Ministry of Electronics & Information Technology, Government of India.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 16th day of January, 2018.

[F. No.349/58/2017-GST(Pt.)]

(Dr. Sreeparvathy S.L.)
Under Secretary to the Government of India

Note:- The principal notification No.4/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 606 (E), dated the 19th June, 2017.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 9 / 2018 - केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 23 जनवरी, 2018

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 606 (अ) तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 4/2017 केन्द्रीय कर तारीख 19 जून, 2017 उन बातों के सिवाय जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए रजिस्ट्रीकरण, कर संदाय विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना तथा परिनिर्धारण को सुकर बनाने के लिए www.gst.gov.in को सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक वे बिल प्रस्तुत करने के लिए www.ewaybillgst.gov.in को सामान्य माल और सेवाकर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के रूप में अधिसूचित करती है।

स्पष्टीकरण.-

- (1) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए www.gst.gov.in से ऐसी वेबसाइट अभिप्रेत है जिस का प्रबंध कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के उपबंधों के अधीन निगमित कंपनी माल और सेवा कर नेटवर्क द्वारा किया गया है;
 - (2) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए www.ewaybillgst.gov.in से ऐसी वेबसाइट अभिप्रेत है जिसका प्रबंध भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा किया गया है; और
2. यह अधिसूचना 16 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त मानी जायेगी।

[फा.सं.349/58/2017-जीएसटी(पीटी.)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण - मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) संख्या सा.का.नि. 606(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा संख्या 4/2017- केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून 2017 को प्रकाशित की गई थी।

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

**Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Excise and Customs**

Notification No. 10/2018 – Central Tax

New Delhi, the 23rd January, 2018

G.S.R....(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the “CGST Act”), on the recommendations of the Council, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 39/2017 - Central Tax dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1253 (E) dated the 13th October, 2017, namely:-

In the said notification, for the words and figures “except rule 96”, the words, figures, brackets and letter ‘except sub rules (1) to (8) and sub rule (10) of rule 96’ shall be substituted.

[F. No.349/58/2017-GST(Pt.)]

(Dr. Sreeparvathy S.L.)

Under Secretary to the Government of India

Note:- The principal notification No. 39/2017-Central Tax, dated the 13th October, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1253 (E), dated the 13th October, 2017.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 10/ 2018 - केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 23 जनवरी, 2018

सा.का.नि.....(अ)-- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इस अधिसूचना के पश्चात् सीजीएसटी अधिनियम कहा गया है) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1253 (अ) तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 39/2017 केन्द्रीय कर तारीख 13 अक्टूबर, 2017 में परिषद् की संस्तुति पर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में शब्दों और अंकों "नियम 96 के सिवाय" के स्थान पर "नियम 96 के उपनियम (1) से उपनियम (8) और उपनियम (10) के सिवाय" अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा.सं.349/58/2017-जीएसटी(पीटी.)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण - मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) संख्या सा.का.नि. 1253(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा संख्या 39/2017- केन्द्रीय कर, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 को प्रकाशित की गई थी ।

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

**Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Excise and Customs**

Notification No. 11/2018 – Central Tax

New Delhi, the 2nd February, 2018

G.S.R.....(E):- In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby rescinds, except as respects things done or omitted to be done before such rescission, the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 74/2017 – Central Tax dated the 29th December, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1601 (E), dated the 29th December, 2017.

[F. No.349/58/2017-GST(Pt.)]

(Dr. Sreeparvathy S.L.)
Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं० 11/2018- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 02 फ़रवरी, 2018

सा.का.नि. (अ)- केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं० 1601(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 74/2017-केंद्रीय कर, तारीख 29 दिसम्बर, 2017 को, उन बातों के सिवाय विखंडित करती है जिन्हे ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(पी. टी.)]

(डा. श्रीपार्वती एस. एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
Central Board of Excise and Customs
Notification No. 13/2018 – Central Tax

New Delhi, the 7th March, 2018

G.S.R.... (E).- In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 6/2018 - Central Tax, dated the 23rd January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 55(E), dated the 23rd January, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 349/58/2017-GST]

(Dr. Sreeparvathy S.L.)
Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 13/2018-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 7 मार्च, 2018

सा.का.नि... (अ) --केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 55(अ), तारीख 23 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं 6/2018-केंद्रीय कर, तारीख 23 जनवरी, 2018 को, उन बातों के सिवाए, जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या जिनके करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

**Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Excise and Customs**

Notification No. 15/2018 – Central Tax

New Delhi, the 23rd March 2018

G.S.R.(E).— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 2018, as the date from which the provisions of sub-rules (ii) [other than clause (7)], (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of rule 2 of notification No. 12/2018 – Central Tax, dated the 7th March, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 204 (E), dated the 7th March, 2018, shall come into force.

[F. No.349/58/2017-GST(Pt)]

(Dr. Sreeparvathy S.L.)

Under Secretary to the Government of India

[[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं० 15/2018- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 23 मार्च, 2018

सा.का.नि. _____ (अ)—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिससे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 204(अ), तारीख 7 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० 12/2018-केंद्रीय कर, तारीख 7 मार्च, 2018 के नियम 2 के उपनियम (ii) [खंड (7) के सिवाए], उपनियम (iii), उपनियम (iv), उपनियम (v), उपनियम (vi) और उपनियम (vii) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(पार्ट)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल)
अवर सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
Central Board of Excise and Customs
Notification No. 16 /2018 – Central Tax

New Delhi, the 23rd March, 2018

G.S.R.....(E). - In exercise of the powers conferred by section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the Act) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in **FORM GSTR-3B** for the month as specified in column (2) of the Table below shall be furnished electronically through the common portal, on or before the last date as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl. No	Month	Last date for filing of return in FORM GSTR-3B
(1)	(2)	(3)
1.	April, 2018	20 th May, 2018
2.	May, 2018	20 th June, 2018
3.	June, 2018	20 th July, 2018

2. **Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B:** Every registered person furnishing the return in **FORM GSTR-3B** shall, subject to the provisions of section 49 of the Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as mentioned in column (3) of the said Table, on which he is required to furnish the said return.

[F. No. 349/58/2017-GST (Pt.)]

(Dr. Sreeparvathy S.L.)
Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 16/2018 - केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2018

सा.का.नि.....(अ).- आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उप-नियम (5) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए विवरणी, प्ररूप जीएसटीआर-3ख में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट अंतिम तारीख को या उसमें पूर्व प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात् :-

सारणी

क्र. सं.	मास	प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	अप्रैल, 2018	20 मई, 2018
2.	मई, 2018	20 जून, 2018
3.	जून, 2018	20 जुलाई, 2018

2. प्ररूप जीएसटीआर-3ख के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए कर संदाय : प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथाउल्लिखित अंतिम तारीख के अपश्चात्, जिसको उससे उक्त विवरणी फाइल करना अपेक्षित है, यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाता या इलेक्ट्रॉनिक जमा खाता के विकलन करते हुए अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के संबंध में अपने दायित्व का निर्वहन करेगा ।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(पार्ट)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल)
अवर सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
Central Board of Excise and Customs
Notification No. 17/2018 – Central Tax

New Delhi, the 28th March, 2018

G.S.R.....(E). - — In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** effected during the quarter April to June, 2018 till the 31st day of July, 2018.

3. The special procedure or extension of the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the Act, for the months of April to June, 2018 shall be, subsequently, notified in the Official Gazette.

[F. No. 349/58/2017-GST (Pt.)]

(Ruchi Bisht)
Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 17/2018 - केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2018

सा.का.नि... (अ) .- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में या चालू वित्तीय वर्ष में कुल आवर्तन एक करोड़ पचास लाख रुपए तक का है ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के प्रवर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जो मालों या सेवाओं को अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए नीचे यथाउल्लिखित विशेष प्रक्रिया का पालन करेंगे।

2. उक्त व्यक्ति अप्रैल से जून, 2018 तिमाही के दौरान की गई मालों या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर-1 में 31 जुलाई, 2018 तक प्रस्तुत करेंगे।

3. अप्रैल से जून, 2018 के मासों के लिए अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (2) और धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन, यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रक्रिया या समय-सीमा में विस्तार को पश्चात्वर्ती रूप में राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी (पार्ट)]

(रुची बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
Central Board of Excise and Customs
Notification No.18 /2018 – Central Tax

New Delhi, the 28th March, 2018

G.S.R.....(E). - In exercise of the powers conferred by the second proviso to subsection (1) of section 37 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the Act), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** under sub-section (1) of section 37 of the Act for the months as specified in column (2) of the Table, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:

Table

Sl. No	Month	Last date for filing of return in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1.	April, 2018	31 st May, 2018
2.	May, 2018	10 th June, 2018
3.	June, 2018	10 th July, 2018

2. The extension of the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the Act, for the months of April to June, 2018 shall be, subsequently, notified in the Official Gazette.

[F. No. 349/58/2017-GST (Pt.)]

(Ruchi Bisht)
Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं.18/2018-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली 28 मार्च, 2018

सा.का.नि. ___ (अ) .-- आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा जिनकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है, अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक आपूर्ति के ब्यौरे देने की समय सीमा को सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समयावधि तक बढ़ाते हैं, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	मास	प्ररूप जीएसटीआर-1 में विवरणी फाइल करने की अंतिम अवधि
(1)	(2)	(3)
1.	अप्रैल, 2018	31 मई, 2018
2.	मई, 2018	10 जून, 2018
3.	जून, 2018	10 जुलाई, 2018

2. अप्रैल से जून, 2018 मास के लिए अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और 39 की उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणी देने के लिए समय सीमा का विस्तार तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा ।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(पार्ट)]

(रुची बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

**Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Excise and Customs**

Notification No. 19/2018 – Central Tax

New Delhi, the 28th March, 2018

G.S.R....(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of notification No. 08/2018-Central Tax, dated the 23rd January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 57 (E), dated the 23rd January, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner hereby extends the time limit for furnishing the return by an Input Service Distributor in **FORM GSTR-6** under sub-section (4) of section 39 of the said Act read with rule 65 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, for the months of July, 2017 to April, 2018, till the 31st day of May, 2018.

[F. No.349/58/2017-GST(Pt.)]

(Ruchi Bisht)

Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 19/2018 - केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 28 मार्च 2018

सा.का.नि.....(अ) .- आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 57(अ) तारीख 23 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 08/2018 तारीख 23 जनवरी, 2018 को उन बातों के सिवाय जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रान्त करते हुए किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 के नियम 65 के साथ पठित उक्त अधिनियम (4) की धारा 39 की उपधारा के अधीन **प्रारूप जीएसटीआर-6** में जुलाई, 2017 से अप्रैल, 2018 मास के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की समय सीमा का 31 मई, 2018 तक विस्तार करता है ।

[फा.सं.349/58/2017-जीएसटी)पार्ट(

(रुची बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

**Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Excise and Customs
Notification No. 20/2018 – Central Tax**

New Delhi, the 28th March, 2018

G.S.R....(E).- Whereas, as per section 55 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify any specialised agency of the United Nations Organisation or any Multilateral Financial Institution and Organisation notified under the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), Consulate or Embassy of foreign countries and any other person or class of persons as may be specified in this behalf (hereafter in this notification referred to as the specified persons), who shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be entitled to claim a refund of taxes paid on the notified supplies of goods or services or both received by them;

Whereas, the Central Government has laid down the conditions and restrictions for claiming of refund of taxes under section 55 of the said Act vide the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published vide number G.S.R 610 (E), dated the 19th June, 2017 and last amended vide notification No. 14/2018-Central Tax, dated the 23rd March, 2018, published vide number G.S.R 266 (E), dated the 23rd March, 2018;

Whereas, as per sub-section (2) of section 54 of the said Act, the specified persons, as notified under section 55 of the said Act, are entitled to a refund of tax paid by them on inward supplies of goods or services or both, may make an application for such refund, in such form and manner as may be prescribed, before the expiry of six months from the last day of the quarter in which such supply was received;

Whereas, the facility for filing the claim of refunds under section 55 of the said Act has been made available on the common portal recently;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 148 of the said Act, the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the specified persons as the class of persons who shall make an application for refund of tax paid by it on inward supplies of goods or services or both, to the jurisdictional tax authority, in such form and manner as specified, before the expiry of eighteen months from the last date of the quarter in which such supply was received.

[F. No.349/58/2017-GST(Pt.)]

(Ruchi Bisht)
Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं० 20/2018- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 28 मार्च, 2018

सा.का.नि. (अ)—सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 55 के अनुसार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के अधीन अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र संगठन के किसी विशिष्ट अभिकरण या किसी बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन को, विदेशों के वाणिज्यिक दूतावासों या राज दूतावासों को और किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को, जिसे इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, विनिर्दिष्ट कर सकेगी (जिन्हें इस अधिसूचना में इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट व्यक्ति कहा गया है), जो ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के अधिसूचित प्रदायों पर संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने के हकदार होंगे ;

केंद्रीय सरकार ने, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा०का०नि० सं० 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और जिनका अंतिम बार संशोधन सा०का०नि० सं० 266(अ), तारीख 23 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० 14/2018-केंद्रीय कर, तारीख 23 मार्च, 2018 द्वारा किया गया था, उक्त अधिनियम की धारा 55 के अधीन कर के प्रतिदाय का दावा करने के लिए शर्तें और निबंधन अधिकथित किए हैं ;

उक्त अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (2) के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 55 के अधीन यथा अधिसूचित विनिर्दिष्ट व्यक्ति, माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों पर उनके द्वारा संदत्त कर के प्रतिदाय के हकदार होंगे, वे ऐसे प्रतिदाय के लिए, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, उस तिमाही के, जिसमें ऐसा प्रदाय प्राप्त किया था, अंतिम दिन से छह मास की समाप्ति के पूर्व आवेदन कर सकेंगे ;

उक्त अधिनियम की धारा 55 के अधीन प्रतिदाय का दावा फाइल करने की सुविधा अभी हाल ही में सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो अधिकारिता वाले कर प्राधिकारी को, यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में, ऐसी तिमाही के, जिसमें ऐसा प्रदाय प्राप्त किया था, अंतिम दिन से अठारह मास की समाप्ति से पूर्व माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों पर उनके द्वारा संदत्त कर के प्रतिदाय के लिए आवेदन करेंगे ।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(पार्ट)]

(रुची बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

**Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes and Customs**

Notification No. 22 /2018 – Central Tax

New Delhi, the 14th May, 2018

G.S.R... (E).- In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the late fee payable under section 47 of the said Act for failure to furnish the return in **FORM GSTR-3B** by the due date for each of the months from October, 2017 to April, 2018, for the class of registered persons whose declaration in **FORM GST TRAN-1** was submitted but not filed on the common portal on or before the 27th day of December, 2017:

Provided that such registered persons have filed the declaration in **FORM GST TRAN-1** on or before the 10th day of May, 2018 and the return in **FORM GSTR-3B** for each of such months, on or before the 31st day of May, 2018.

[F. No. 349/58/2017- GST (Pt.)]

(Dr. Sreeparvathy S.L.)
Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं0 22/2018-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 14 मई, 2018

सा.का.नि. ___ (अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जिन्होंने प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में घोषणा प्रस्तुत कर दी थी, किंतु 27 दिसंबर, 2017 को या उसके पूर्व सामान्य पोर्टल पर फाइल नहीं की थी, अक्टूबर, 2017 से अप्रैल, 2018 के प्रत्येक मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी देने में असफल रहने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस का, अधित्यजन करती है :

परंतु ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति 10 मई, 2018 को या उसके पूर्व प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में घोषणा और 31 मई, 2018 को या उसके पूर्व, उन प्रत्येक महीनों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी फाइल करेंगे ।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी (पार्ट)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

**Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes and Customs**

Notification No. 23/2018 – Central Tax

New Delhi, the 18th May, 2018

G.S.R.(E).— In exercise of the powers conferred by section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 16/2018- Central Tax, dated the 23rd March, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 268(E), dated the 23rd March, 2018, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 1, in column (3), for the figures, letters and word “20th May, 2018”, the figures, letters and word “22nd May, 2018” shall be substituted.

[F. No.349/58/2017-GST(Pt.II)]

(Dr. Sreeparvathy S.L.)
Under Secretary to the Government of India

Note: - The principal notification No. 16/2018-Central Tax, dated the 23rd March, 2018, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 268(E), dated the 23rd March, 2018.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 23/2018- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 18 मई, 2018

सा.का.नि. (अ)— भारत सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफ़ारिश पर वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0 16/2018-केंद्रीय कर, सा.का.नि. 268(अ), तारीख 23 मार्च, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं0 5 के स्तंभ (3) में, "20 मई, 2018" अंकों और शब्द के स्थान पर, "22 मई, 2018" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी (पार्ट. II)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं0 268(अ), तारीख 15 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 16/2018-केंद्रीय कर, तारीख 23 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

**Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes and Customs**

Notification No. 24 /2018 – Central Tax

New Delhi, the 28th May, 2018

G.S.R. ... (E).- In exercise of the powers conferred by section 48 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with sub-rule (3) of rule 83 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby notifies the National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India, as the authority to conduct the examination as per the said sub-rule.

[F. No.349/58/2017-GST(Pt.)]

(Dr. Sreeparvathy S.L.)
Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं० 24/2018- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 28 मई, 2018

सा.का.नि. (अ)-आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 83 के उपनियम (3) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, राष्ट्रीय सीमाशुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नार्कोटिक्स अकादमी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को, उक्त उपनियम के अनुसार परीक्षा संचालित करने के लिए प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित करते हैं।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी (पार्ट)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

**Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes and Customs**

Notification No. 25/2018 – Central Tax

New Delhi, the 31st May, 2018

G.S.R....(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of notification No. 19/2018-Central Tax, dated the 28th March, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 308 (E), dated the 28th March, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner hereby extends the time limit for furnishing the return by an Input Service Distributor in **FORM GSTR-6** under sub-section (4) of section 39 of the said Act read with rule 65 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, for the months of July, 2017 to June, 2018, till the 31st day of July, 2018.

[F. No.349/58/2017-GST(Pt.)]

(Dr. Sreeparvathy S.L.)

Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 25/2018 - केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 31 मई 2018

सा.का.नि.....(अ) .- आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 308(अ) तारीख 28 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 19/2018 तारीख 28 मार्च, 2018 को उन बातों के सिवाय जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिकांत करते हुए किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 के नियम 65 के साथ पठित उक्त अधिनियम (4) की धारा 39 की उपधारा के अधीन **प्रारूप जीएसटीआर-6** में जुलाई, 2017 से जून, 2018 मास के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की समय सीमा का 31, जुलाई 2018 तक विस्तार करता है ।

[फा.सं.349/58/2017-जीएसटी(पीटी.)]

(श्रीपार्वती एस. एल)
अवर सचिव, भारत सरकार